सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 496 राँची, सोमवार, 10 नवंबर, 2025 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर, 2025

एस०ओ०.....

झारखण्ड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को एकमुश्त आर्थिक सहायता लाभ प्रदान किये जाने हेतु योजना विभागीय अधिसूचना संख्या-1911 दिनांक- 30.10.2019 द्वारा पूर्व से गठित है। विदेश प्रवास पर गए झारखण्ड राज्य के श्रमिकों के आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में एवं उनके शव को उनके पैतृक निवास स्थान तक लाने/पहुँचाने हेतु / झारखण्ड के पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के भारत वापसी के पश्चात् उनके पैतृक निवास स्थान तक पहुँचाने हेतु एवं झारखण्ड के मृत/पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक/ प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को विशेष परिस्थिति में पुनर्वास/राहत पहुँचाने के उद्देश्य से कोष गठन निम्नवत किया जाता है:-

"**मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष**"काम की तलाश में झारखण्ड राज्य से अन्य देशों में प्रवास करने वाले श्रमिकों के मृत्यु की स्थिति में उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास स्थान तक लाने/पहुँचाने हेतु / झारखण्ड के पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के भारत वापसी के पश्चात् उनके पैतृक निवास स्थान तक पहुँचाने हेतु एवं झारखण्ड के

मृत/पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक/ प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पुनर्वास/राहत पहुँचाने हेतु आकस्मिक सहायता राशि की आवश्यकता होने पर गठित कोष से राशि व्यय की जायेगी।

स्थिति	योजना का विवरण	स्वीकृति पदाधिकारी
1.अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिककी मृत्यु होने पर	मृत पार्थिव शरीर के भारत आने के पश्चात् उनके पैतृक निवास स्थान तक रेलमार्ग/ सड़कमार्ग/विशेष परिस्थिति में वायुमार्ग द्वारा लाने/पहुँचाने हेतु व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति	श्रमायुक्त, झारखण्ड
2.पीड़ितअंतर्राष्ट्रीय प्रवासीश्रमिकों को कुशलतापूर्वकघर वापसी हेतु	पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के भारत वापसी के पश्चात उनके पैतृक निवास स्थान तक रेलमार्ग/ सड़कमार्ग/विशेष परिस्थिति में वायुमार्ग द्वारा लाने/ पहुँचाने हेतु व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति	तथैव
3. अनुदान	सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक/ उनके आश्रित को घोषित राशि का भुगतान	तथैव

2. अहर्ता एवं शर्तें :-

I . प्रवासी श्रमिक भारत का नागरिक हो एवं झारखण्ड राज्य का निवासी हो;

II . विदेशों में प्रवास पर गये श्रमिक/ श्रमिक की मृत्यु की संपुष्टि विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए जाने के उपरांत हीं उक्त सहायता का हकदार होगा।

III . संबंधित प्रवासी श्रमिक 18-65 वर्ष की आयु वर्ग में आता हो।

3. इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु वैध तरीके से किये गये प्रवास की स्थिति में हीं देय होगी।

4. प्रवासी श्रमिक/प्रवासी श्रमिक के आश्रितों द्वारा दूसरे देश में काम करने संबंधी प्रमाण, पासपोर्ट, प्रवासन संबंधी अनुमति पत्र, नियोजक द्वारा निर्गत परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना होगा।

5. यह कोष ''मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष' होगा जिसका बैंक खाता सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक में खोला जायेगा तथा उक्त कोष में राशि 50,00,000/-रूपये(पचास लाख) मात्र संचित रहेगी।

6. उपरोक्त शर्तों के अधीन श्रमायुक्त के अनुमोदन के उपरांत कोष से राशि व्यय की जायगी एवं समतुल्य राशि कोष में संधारित की जायेगी। कोष में राशि का समंजन निम्न योजना व्यय शीर्ष से की जायेगीः-

उक्त योजनाओं के तहत राशि की निकासी व्यय मुख्य शीर्ष-2230-श्रम और रोजगार, उप मुख्य शीर्ष -01-श्रम, लघु शीर्ष -111-श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना के उप शीर्ष -43-मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना, विस्तृत शीर्ष -06 अनुदान 49-आर्थिक सहायता से किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-(अस्पष्ट)

अवर सचिव

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 496 - 50